



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1165/2026/132/22-2-2026-17(16)/2026
लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2 (घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 2025 (10 दिसम्बर 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम (बन्दी संख्या-27608) पुत्र श्री इकराम, जो ग्राम-कालूपुर, थाना-बिसौली, जिला-बदायूँ का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-519/1982, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूँ के आदेश दिनांक 20.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.10.2018 एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2025 तक 12 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी जाने तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत, शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रु0 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1165/2026/132(1)/22-2-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।